न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2024/113

1. डॉ० दयाराम स्वामी चेला महन्त रामप्रसाद दास स्वामी सेवक व हितधारी सार्वजनिक प्रन्यास दादूद्वारा रामगंज बाजार जयपुर ।

—अपीलांट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर जिला जयपुर ।
2. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जवाहर लाल सर्किल रामबाग सर्किल जयपुर ।
3. महन्त गोविन्ददास स्वामी चेला स्व० श्री महन्त हनुमान दास स्वामी एकल प्रन्यासी ट्रस्ट दादू द्वारा रामगंज व महन्त दादूद्वारा रामगंज निवासी दादूद्वारा रामगंज बाजार जयपुर ।
4. रामप्रकाश दास स्वामी तथाकथित शिष्य स्व० श्री हनुमान दास स्वामी ।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध आदेश जिला कलक्टर जयपुर दिनांक 11/3/2024 मुकदमा नम्बर 38/2014 उनवानी डॉ० दयाराम बनाम सरकार एवं विरुद्ध आदेश तहसीलदार जयपुर बाबत नामान्तकरण संख्या 46 दिनांक 03/12/2013 ग्राम किशनपोल तहसील जयपुर ।

उपस्थित—

1. श्री रामधन चौधरी, ज्ञानेश्वर बाढदारवकील अपीलान्ट
2. राजकीय अधिवक्ता वकील रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।
3. श्री हीरालाल सैनी वकील रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से।
4. श्रीराजाराम चौधरीवकील रेस्पोडेन्ट नं. 3 की ओर से।
5. श्री हरलाल सिंह वकील रेस्पोडेन्ट नं. 4 की ओर से।

अपील जीसीएमएस संख्या 2024/122

1. डॉ० के.एल जायसवाल पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मी चन्द जायसवाल निवासी—मकान नम्बर एन—15, देहली आई, हॉस्पीटल आनन्दपुरी मोती डूंगरी रोड, जयपुर।
2. जनक कुमार माली पुत्र श्री नानगराम माली निवासी देहली आई हॉस्पिटल के पास, आनन्दपुरी, मोती डूंगरी रोड, जयपुर।
3. प्रहलाद कुमार मीणा पुत्रस्व0 श्री राम लक्ष्मण मीणा, निवासी महन्त का बाग, आनन्दपुरी, मोती डूंगरी रोड, जयपुर।
4. कुमारी प्रीतम पुत्री गणेश नारायण, निवासी—आनन्दपुरी, मोती डूंगरी रोड, जयपुर।
5. गिरधारी लाल सैनी पुत्र स्व0 श्री बाबूलाल सैनी, निवासी—निवाई महन्त का बाग मोती डूंगरी रोड जयपुर।
6. मुकेश सैनी पुत्र स्व0 श्री बाबूलाल सैनी निवासी निवाई महन्त का बाग मोती डूंगरी रोड जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. कैलाश मीणा पुत्र स्व0 श्री रामगोपाल मीणा, निवासी– निवाई महन्त का बाग आनन्दपुरी मोती डूंगरी रोड–जयपुर।

–अपीलांट्स

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर जिला जयपुर महानगर जयपुर।
2. रामप्रकाश दास स्वामी निवासी दादूद्वारा रामगंज बाजार, जयपुर।
3. महन्त गोविन्ददास स्वामी एकल प्रन्यासी संस्था, दादूद्वारा रामगंज बाजार जयपुर पता दादूद्वारा रामगंज बाजार जयपुर ।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध आदेश जिला कलक्टर जयपुर दिनांक 11/3/2024 मुकदमा नम्बर 22/2016 उनवानी डॉ० के. एल जायसवाल बनाम तहसीलदार जयपुरएवं विरुद्ध आदेश तहसीलदार जयपुर बाबत नामान्तकरण संख्या 46 दिनांक 03/12/2013 को खारिज फरमाने हेतु प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने के संदर्भ में।

उपस्थित–
1. श्री हरीश कुमार सैनी वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अधिवक्ता वकील रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।
3. श्री हरलाल सिंह वकील रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से।
4. श्री राजाराम चौधरी वकील रेस्पोडेन्ट नं. 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –10.07.2024

1. उक्त दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर जयपुर के निर्णय दिनांक 11.03.2024 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है। दोनों प्रकरणों में विवादित आराजी, विषयवस्तु समान होने से दोनों पत्रावलियों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में रखी जावे।

2. प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स द्वारा तहसीलदार जयपुर द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 03.12.2013 को गलत बताते हुये इसकी अपील जिला कलक्टर जयपुर के यहॉ प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर ग्राम किशनपोल के नामान्तरकरण संख्या 46 को सही मानते हुये अपील खारिज करने के आदेश दिनांक 11.03.2024 को दिए गये।

3. जिला कलक्टर जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 11.03.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर जयपुर के निर्णय दिनांक 11.03.2024 एवं तहसीलदार जयपुर के नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 03.12.2013 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. उक्त दोनो अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस/लिखित बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि खसरा नम्बर 461, 462 रकबा क्रमशः 3 बीघा, 3 बीघा 17 बिस्वा कुल रकवा 6 बीघा 17 बिस्वा गैर मुमकिन आबादी ग्राम– किशनपोल, तहसील जयपुर, जिला जयपुर में स्थित भूमि का मन्नादास जी ने अपने जीवनकाल में उपयोग उपभोग किया एवं उनकी मृत्यु उपरान्त महन्त रामप्रसाद दास स्वामी की निजी मिल्कियत की भूमि रही है। खसरा नम्बर 461, 462 की भूमि कभी भी राजस्व रिकार्ड में माफी मन्दिर या किसी संस्था के नाम से दर्ज नहीं रही है बल्कि उक्त भूमि प्रारम्भ से ही श्री मन्नादास चेला श्री चन्दनदास, दादूपंथी की खातेदारी की भूमि थी जिनके स्वर्गावास के पश्चात उक्त सम्पत्ति का नामान्तरकरण महन्त रामप्रसाद दास चेला श्री मन्ना दास जी के नाम दर्ज किया गया। उस समय से ही उपरोक्त वर्णित आराजीयात आबादी दर्ज चली आ रही है।उपरोक्त संपत्ति खसरा नम्बर 461, 462 किशनपोल में से 2520 वर्गगज भूमि वर्ष 1963 में भूमि अवाप्ति अधिकारी, जयपुर द्वारा अवाप्त कर ली गई थी जिसका मुआवजा खातेदार महन्त रामप्रसाद दास स्वामी को प्राप्त हो गया था तत्पश्चात उपरोक्त संपत्ति खसरा नम्बर 461, 462 ग्राम किशनपोल में से राज्य सरकार द्वारा दिनांक 16–09–1992 को 9697 वर्गमीटर भूमि और अधिगृहित कर ली गई जिसकी अधिसूचना राजस्थान सरकार राजपत्र (गजट नोटिफिकेशन) में दिनांक 13 मई 1993 को प्रकाशित की गई थी । उपरोक्त संपत्ति खसरा नम्बर– 461, 462 ग्राम – किशनपोल में से भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा वर्ष 1963 में अवाप्त की गई 2520 वर्गगज भूमि व 1992 में राज्य सरकार द्वारा अवाप्त की गई 9697 वर्गमीटर भूमि के अलावा शेष भूमि में से कुछ भूमि खातेदार महन्त रामप्रसाद दास स्वामी द्वारा काफी वर्षों पूर्व अलग–अलग व्यक्तियों को अलग–अलग समय पर जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र विक्रय कर दी थी जो सभी लोग पुख्ता पक्के मकानात बनाकर काफी वर्षों से मौके पर काबिज हैं तथा शेष बची सम्पत्ति का निस्तारण जरिये पंजीकृत वसीयत दिनांक 10–09–2001 के माध्यम से करते हुए 520 वर्गगज भूमि गोविन्दराम स्वामी को तथा शेष बची भूमि प्रन्यास श्री दादूद्वारा रामगंज, जयपुर पंजीयन संख्या–321/20–01–71 को दे दी थी।उक्त खसरा नम्बरान की भूमि का नामान्तकरण दिनांक 03.12.2013 को तहसीलदार महोदय जयपुर ने बिना हितधारियों को नोटिस दिये व सुनवाई का अवसर दिये ही एकतरफा कार्यवाही करते हुए राजस्व मण्डल के आदेश की गलत व्याख्या करते हुए खातेदार रामप्रसाद दास स्वामी के नाम से हटाकर किसी तथाकथित अस्तित्वहीन संस्था दादूद्वारा संस्था हरध्यानपुरा के नाम खोल दिया।तहसीलदार महोदय जयपुर ने अपने नामान्तकरण संख्या 46 आदेश दिनांक 03–12–2013 का आधार माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 12–10–1965 को बनाया हैं जबकि उक्त निर्णय दिनांक 12–10–1965 में केवल मात्र हध्यानपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित भूमि को ही जागिर की भूमि माना है तथा शेष सम्पत्ति जागीर की ना होने के कारण जागीर कमिश्नर का अधिकार क्षेत्र नहीं मानते हुये पुनः जॉच हेतु निर्णित किया गया है। जबकि खसरा नम्बर 461, 462 की भूमि जागीर क्षेत्र से अलग ग्राम–किशनपोल, पटवार हल्का–बस्सी सीतारामपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयपुर (पूर्व), तहसील–जयपुर, जिला– जयपुर में स्थित है जिसके बारे में

माननीय राजस्व मण्डल ने ऐसा कोई निर्णय पारित ही नहीं किया था कि उक्त खसरा नम्बरान की भूमि किसी तथाकथित संस्था दादूद्वारा संस्था हरध्यानपुरा की भूमि है तथा वास्तव में दादूद्वारा संस्था हरध्यानपुरा नामक कोई संस्था ना तो पूर्व में कभी अस्तित्व में रही है तथा ना ही वर्तमान में ऐसी कोई संस्था विधमान है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय जयपुर द्वारा राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 12–10–1965 की गलत व मनमानी व्याख्या को आधार बनाकर पारित किया गया। संस्था बाबत ना तो कोई जांच तहसीलदार महोदय द्वारा विवादित नामान्तकरण खोले जाने से पूर्व की गई तथा ना ही बावजूद आपत्ति के इस बाबत कोई फाईडिंग्स अपने निर्णय में श्रीमान जिला कलैक्टर महोदय द्वारा दी गई है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी तथ्यों पर गौर किये बिना एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किये गये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर जयपुर दिनांक 11.03.2024 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पो0 रामप्रकाश दास स्वामीके योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये लिखित बहस पेश कर मुख्य रूप से कथन किया कि श्री दादूद्वारा, निवाई महन्त का रास्ता, रामगंज जयपुर एक पंजीकृत ट्रस्ट है, जिसकी पंजीयन संख्या 321 दिनांक 20.01.1971 है। जिसके महन्त हनुमान दास जी एकल प्रन्यासी थे जिन्होंने अपने जीवनकाल में प्रन्यास की अचल सम्पत्ति खसरा नम्बर 461 व 462 कुल रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा गैर मुमकीन आबादी वाक्य चक बस्सी सीतारामपुरा हाल वाकेय आदर्श नगर जयपुर को प्रन्यास के दर्ज अभिलेख किये जाने हेतु प्रपत्र 8 मान्य सहायक आयुक्त प्रथम देवस्थान विभाग के समक्ष दिनांक 04.08. 2015 को पेश किया और दौराने विचाराधीन कार्यवाही महन्त हनुमान दास जी का आकस्मिक निधन दिनांक 14.09.2017 को हो गया, जो प्रपत्र 8 बाद सुनवाई कर हाल ही में आदेश दिनांक 02.08.2021 के नाम दर्ज अभिलेख का आदेश हो चुका है।आदेश दिनांक 02.08.2021 की प्रति अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है, जो गौर योग्य है। ट्रस्ट सम्पदा का नामान्तकरण कानूनन निरस्त नही किया जा सकता है तथा प्रन्यास सम्पदा का कानूनन बेचान प्रतिबंधित है।यह कि अपील में जो वादग्रस्त सम्पत्ति है, जो आराजी खसरा नम्बर 461 व 462 वाके चक बस्सी सीतारामपुरा (वर्तमान में निवाई महन्त का बाग, आनन्दपुरी, आदर्श नगर, जयपुर) में है, जो जागीर दादूद्वारा हरध्यानपुरा के अन्तर्गत आती है। जागीर दादूद्वारा हरध्यानपुरा एक धार्मिक जागीर (दादू द्वारा) रही है, जो समय–समय पर रियासत काल में जयपुर राज्य से दादू द्वारा, साधू–सेवा, धार्मिक एवं पूण्यार्थ प्रयोजन हेतु अलग–अलग स्थानों यथा ग्राम भवानी शंकरपुरा, तहसील सवाई जयपुर (वर्तमान में ग्राम किशनपोल, तहसील बस्सी सीतारामपुरा) ग्राम हरध्यानपुरा, तहसील बस्सी, ग्राम चीमापुरा तहसील चाकसू ग्राम कांसेल तहसील फागी आदि में उदक (Charitable Grant) में भूमि प्रदान की गई थी। उक्त समस्त सम्पत्तियां निवाई महन्त/धार्मिक जागीर हरध्यानपुरा, तहसील–बस्सी, जिला जयपुर के अन्तर्गत ही धार्मिक एवं पूण्यार्थ हेतु उदक सम्पत्तियों में सम्मिलित है। जयपुर रियासत के अधीक्षक रिकार्ड एवं प्रभारी दीवानी हुजूरी दफतार की कार्यालय टिप्पणी (List of the holdings of Mahant Niwai) दिनांक 04.05.1936 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि जयपुर शहर के बाहर 5 बीघा भूमि मोती डूंगरी रोड़ पर पूण्य (Charitable Grant) हेतु संवत 1881

संभागीय आयुक्त
जयपुर

(1824 ईस्वी) में प्रदान की गयी थी तथा वादग्रस्त सम्पत्ति सहित खसरा संख्या 461 एवं 462 की उक्त भूमि पर अनेक प्राचीन कालीन दादूपंथी मंदिर/समाधियां/छतरियां/चबुतरें/तिबारें बने हुए हैं, जो प्राचीन रियासत कालीन स्थापत्य कला/वास्तुकला/मूर्तिकला/सैन्य व्यवस्था के साथ ही नागा साधुओं/नागा साधुओं के अखाड़ों/ दादू पंथी विचारधारा की संस्कृति के उत्कृष्ट उदाहरण/ नमूने है। जिनमें से 17वीं शताब्दी के विख्यात एवं तत्कालीन दादू पंथी अध्यात्म के प्रमुख संतोख दासजी (अमोलक दास जी के पूर्वज) के दादूद्वारा जिसमें उनके पैरों की अनुकृति स्थापित है). महन्त मन्ना दासजी के चबूतरे सहित अन्य समाधियां/अनुकृतियां आदि सम्मिलित है। Charitable Grantमें प्राप्त वादग्रस्त सम्पत्ति किसी व्यक्ति विशेष की स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं होकर धार्मिक जागीर दादू द्वारा हरध्यानपुरा की पूण्यार्थ प्रयोजन के भूमि भवन परिसर है, जो चादर के आधार पर अनवरत उत्तरोतर महन्त को प्राप्त होती रही है । उक्त सम्पत्ति साधू–संतों की निजी सम्पत्ति के रूप में कभी नहीं रही है। इसकी देख–रेख व सार–सम्भाल धार्मिक जागीर के महन्तों/गदी नवीसों द्वारा प्रबन्धक की हैसियत से की जाती रही है तथा धार्मिक एवं पुण्यार्थ कार्यों के काम आती रही है।राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 /राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण नियम 1954 के नियम– प्रावधानों के तहत ही महन्त मन्नादास द्वारा धार्मिक जागीर हरध्यानपुरा की ग्राम किशनपोल तहसील बस्सी सीतारामपुरा (वर्तमान में निवाई महन्त का बाग आनन्दपुरी, आदर्श नगर, जयपुर) स्थित खसरा संख्या 461 एवं 462 की भूमि सहित 09 सम्पत्तियों को निजी घोषित करवाने के लिए अतिरिक्त जागीर कमिश्नर, राजस्थान जयपुर को दावा नं. 55 / पी1 पी1 जे 1 सी 1 जयपुर– महन्त मन्ना दास बनाम राज्य सरकार प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 31.10.1962 को निर्णय जारी किया गया और निर्णय के तहत आईटम नं. 5 को छोड़कर ग्राम किशनपोल, तहसील बस्सी सीतारामपुरा (वर्तमान में निवाई महन्त का बाग, आनन्दपुरी, आदर्श नगर, जयपुर) स्थित खसरा संख्या 461 एवं 402 सहित सभी 8 सम्पत्तियां दादू द्वारा जागीर हरध्यानपुरा तहसील बस्सी, जिला जयपुर की होना घोषित किया गया तथा दादू द्वारा के महन्त मन्नादास को बताया गया है। निर्णय की प्रतिलिपि राजस्व सचिव राजस्व विभाग जयपुर, डिप्टी कलेक्टर जागीर जयपुर एवं कलेक्टर जयपुर तथा श्री हरीचन्द्र स्वामी लीगल एडवाईजर जागीर जयपुर को भी जारी की गयी है। यह कि तत्पश्चात माननीय राजस्व मण्डल, अजमेरर का आदेश दिनांक 12.10. 1965 को हुआ, जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं हुई, जो आदेश अंतिम व नातिक जिसके तहत आराजी खसरा नम्बर 461 एवं 462 का नामान्तकरण संख्या 46 दिनांक 03.12.2013 से श्री दादूद्वारा के नाम जमाबन्दी राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हुआ। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 12.10. 1965 से सम्पदा धार्मिक जागीर दादूद्वारा हरध्यानपुरा की मानी गई और जिसका नामान्तकरण संख्या 46 दिनांक 03.12.2013 के तहत दादू द्वारा हरध्यानपुरा संस्था के नाम से दर्ज हो चुका है, जो प्रन्यास सम्पदा है तथा नामान्तकरण संख्या 46 विधि अनुसार है, जिसके अनुसार जिला कलक्टर जयपुर द्वारा सभी तथ्यों की जॉच पश्चात् ही विधिवत ही नामान्तकरण संख्या 46 दिनांक 03.12.2013 को सही माना जाकर अपील खारिज करने के आदेश दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया।

माननीय आयुक्त
जयपुर

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त विवादग्रस्त आराजी दादूद्वारा धार्मिक प्रन्यास की सम्पदा है जो Charitable Grant में प्राप्त है एवं वादग्रस्त सम्पत्ति किसी व्यक्ति विशेष की स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं होकर धार्मिक जागीर दादू द्वारा हरध्यानपुरा की पूण्यार्थ प्रयोजन की भूमि/भवन परिसर है, जो चादर के आधार पर अनवरत उत्तरोतर महन्त को प्राप्त होती रही है । ऐसी सम्पत्ति किसी व्यक्ति विशेष या साधू–संतों की स्व अर्जित सम्पत्ति नहीं हो सकती है इसकी देख–रेख व सार–सम्भाल धार्मिक जागीर के महन्तों/गदी नवीसों द्वारा प्रबन्धक की हैसियत से की जाती रही है तथा धार्मिक एवं पुण्यार्थ कार्यों के काम आती रही है और ऐसी सम्पत्तियों की वसीयत या विक्रय द्वारा भी अन्तरण नहीं किया जा सकता है। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के आदेश दिनांक 12.10.1965 के विरुद्ध कोई अपील नहीं हुई, जो आदेश अंतिम है जिसके तहत आराजी खसरा नम्बर 461 एवं 462 का नामान्तकरण संख्या 46 दिनांक 03.12.2013 से श्री दादूद्वारा के नाम जमाबन्दी राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हुआ। ऐसी स्थिति में तहसीलदार जयपुर द्वारा विधिसम्मत माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के निर्णय की पालना में ही नामान्तकरण संख्या 46 दिनांक 03.12.2013 दादूद्वारा संस्था हरध्यानपुरा के नाम तस्दीक किया है एवं अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर द्वारा उक्त सभी तथ्यों की जॉच एवं दस्तावेजात् एवं अपर न्यायालयों के आदेशों के अवलोकन पश्चात् उक्त विवादित आराजी को प्रन्यास सम्पदा मानते हुये तहसीलदार जयपुर द्वारा खोले गये नामान्तकरण संख्या 46 दिनांक 03.12.2013 की पुष्टि कर अपील खारिज किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उचित व विधिसम्यक है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। इसमें हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समक्षते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर का निर्णय दिनांक 11.03.2024 यथावत रखा जाता है।

(डॉ आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 10.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर